© 2024 IJNRD | Volume 9, Issue 7 July 2024| ISSN: 2456-4184 | IJNRD.ORG

IJNRD.ORG ISSN : 2456-4184
INTERNATIONAL JOURNAL OF NOVEL RESEARCH AND DEVELOPMENT (IJNRD) | IJNRD.ORG
An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

भील समाज में गमेती की परम्परा : एक विश्लेषणात्मक अध्ययन

सुखदेव
शोधार्थी
इतिहास विभाग
जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर

सामान्य परिचय

भील सनातन भारत की मुख्य जाति रही है। आर्यों के ही प्राचीन देवता भगवान् षिव के अनुयायियों व भक्तों के रूप में यह जाति वनपुत्र के नाम से रहती आयी है। प्राचीन काल से ही वनों में रहने के कारण तपस्वियों व गुरुकुलों के साथ इनका गहरा व अटूट सम्बन्ध रहा है। सनातन परम्परा के अंष रूप में इस जाति का गौरवपूर्ण, वीर व धार्मिक इतिहास रहा है। आलोच्यकाल में यह जाति परम्परा के बदलते स्वरूपों में भी अपने धर्म, आस्था, व विष्वास के साथ अपरिवर्तनीय रही तथा विभिन्न पालों व फलों में विभक्त होकर भी सामाजिक व धार्मिक दृष्टि से एकीकृत रही। इनके पारस्परिक मतभेदों के निवारणार्थ कोई न्यायालय नहीं हुआ करते थे अपितु ये अपनी पंचायत को ही मान्यता देते थे जिसे भील पंचायत कहा जाता था।

भीलों के मुखियाओं को सहयोग देने के लिये एक पाल में कई भांजगडिये होते थे। अपने–अपने क्षेत्रों में रहने वाले भीलों को पाल के मुखिया के आदेष की पालना करनी अनिवार्य होती थी। किसी भी विवाद का निर्णय गमेती के द्वारा किया जाता था तथा वह सर्वमान्य होता था।

मध्यकाल में बाँसवाड़ा, डूँगरपुर तथा कुशलगढ़ के राज्यों पर भीलों का शासन था। बाद में बाह्य आक्रमणों के कारण इनकी शक्ति क्षीण होने लगी, बाद में इन्होंने राजपूतों को ही अपना मित्र बनाया तथा राजपूतों की वीर प्रकृति इनकी युद्धप्रिय प्रकृति से मिलती थी अतः दोनों ही जातियों में घनिष्ठ मित्रता हो गई। तथा इन्होंने परस्पर एक दूसरे के साथ अपनी शासकीय व्यवस्था को स्थापित किया। राजपूत शासकों ने देखा कि इनके समान निष्ठावान् मैत्रीभाव, तथा धर्मानुरागी जाति अन्य नहीं हो सकती वे राजपूत भी इन्हीं की भाँति धर्मभीरु थे अत

उन्होंने अपने क्षेत्र की रक्षा के लिये भील मुखियाओं को कुछ भूमि अवदान के रूप में दे दी यही नहीं उस भू–प्रदेश से प्राप्त होने वाला राजस्व का कुछ अंश भी भील मुखियाओं के पास रखना निर्धारित किया गया था। ऐसे में भील मुख्यिाओं को भौमिया भील के नाम से जाना जाता था।[1]

प्रारम्भ से ही राजपूतों ने भील जाति के सामाजिक जीवन में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किया, क्योंकि उनका शासन इन भील मुखियाओं के सहयोग से ही शान्तिपूर्वक चल रहा था तथा भीलों के लिये भी एक वरद हस्त के रूप में राजपूत राजाओं का हाथ उनके ऊपर रहा था। परन्तु अँग्रेजों के आने के उपरान्त ईसाई मिशनरियों के धर्मान्तरण वाली सोच तथा ब्रिटिश के गोरों की लूट वाली बर्बर सोच ने दो मित्रों के मध्य विवादों को उत्पन्न करने के प्रयासों से कई विवाद उत्पन्न करवा दिये। ऐसे में राजपूत शासकों से विवाद होने पर भी सामान्य भीलों की तथा राजपूतों की पारस्परिक मैत्री व सम्बन्ध में विशेष विपरीत प्रभाव नहीं पड़ा, अपितु कई भील आन्दोलनों में राजपूत ठाकुरों ने भीलों को प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से अत्यधिक संरक्षण प्रदान किया। इन्हीं भील विद्रोह के कारण अँग्रेजों का हस्तक्षेप अधिक सफल भी नहीं हुआ।[2] अतः भील पंचायत के अधिकार को ब्रिटिश सरकार ने भी मान्यता प्रदान की थी।

भीलों की गमेती परम्परा

भील लोग पाल कहे जाने वाले गाँवों में रहते थे अलग–अलग टेकरियों पर बने झोंपड़ों से मिलकर बनता था। कई झोंपड़े मिलाकर "फला" बनता था व कई फले मिलकर एक गाँव होता था जो पाल कहलाता था। हर एक फले में एक–दो भील मुखिया होते थे व पूरे पाल का नेता "गमेती'' कहलाता था जो कि एक राजनीतिक प्रमुख होने के साथ–साथ सम्पूर्ण पाल का सामाजिक नेता भी होता था।

मेवाड़ का पालिटिकल एजेण्ट कॉब छप्पन क्षेत्र के भील गाँवों के विषय में लिखता है – "प्रत्येक पाल या समुदाय में अनके छोटे–छोटे गाँव या झोंपड़े होते हैं जिनका शासन उनके अपने अलग–अलग गमेती करते हैं और वह सम्पूर्ण क्षेत्र इस उद्देश्य से विशेष रूप से चुने गये व्यक्ति की प्रत्यक्ष देख–रेख के अधीन होता है। ऐसा नहीं लगता कि यह पद आवश्यक रूप से वंशक्रमानुगत हो। इस के लिये अनाज, कूंता आदि के रूप में कुछ लाभ दिये जाते हैं। यह

[1] esokM+ xtsfV;j] ds-Mh- vlZfdu&1908] i`- 39&40
[2] lkslk;Vh ,.M ist] esdkboj] i`- 258

लाभ वैसे हो होते हैं जिनका मैदानी प्रदेशों में पटेलों द्वारा उपभोग किया जाता है। अधिकतर विषयों में इनकी स्थिति वस्तुतः उनसे समानता रखती है। वे सैनिक अभियानों के नता तथा अपन समुदाय की परिषदों के मार्ग–दर्शक होते हैं।[3]

इस विवरण से यह स्पष्ट होता है कि सामान्यतः एक "पाल" के गमेती का पद वंशानुगत होता था। इस परम्परा में भीलों में गमेती का ज्येष्ठ पुत्र ही उत्तराधिकारी होता था। यदि किसी कारणवश ज्येष्ठ पुत्र इस पद के योग्य नहीं होता था तो भील पंचायत छोटे पुत्र को गमेती बना सकती थी।[4] कभी–कभी इनका चुनाव भी होता था। कभी–कभी गमेती के पद पर नियुक्ति उस राजपूत ठाकुर की सहमति पर भी निर्भर थी जिसके क्षेत्र में वह होती थी।[5] श्यामलदास लिखते हैं कि फला के मुखिया व पाल के गमेती की शक्ति कम हो जाने पर जो वीर होता है, वह पूर्व के गमेती को पदच्युत करके स्वयं मुखिया या गमेती बन जाता है।[6] किन्तु सामान्यतः भील लोग अपने गमेती के प्रति स्वामिभक्त थे। मेवाड़ भील कोर का प्रथम कमाण्डर हण्टर लिखता है कि "ये गमेती के प्रति इतने स्वामिभक्त थे कि वृद्ध व रुग्ण होने पर भी उसका साथ नहीं छोड़ते थे।[7] किन्तु वह गमेती इस श्रद्धा का पात्र तभो बनता था जब वह अपने शौर्यपूर्ण कृत्यों व बुद्धिमानी के व्यक्तिगत गुणों से अपनी विलक्षणता प्रदर्शित कर देता था। गमेती लोग अपनी–अपनी पालों के मुखिया होने के नाते राज्य के साथ किये जाने वाले विभिन्न समझौतों में अपनी पाल का प्रतिनिधित्व करते थे। 1824 में मेवाड़ के पोलिटिकल एजेण्ट कॉब ने विभिन्न भील पालों के गमेतियों के साथ विभिन्न उपबन्धों पर हस्ताक्षर किये।[8]एक पाल में रहने वाले लगभग सभी वृद्ध व्यक्तियों को जाति पंचायत में भांजगड़िया का स्थान प्राप्त था। राज्य की ओर से भी भांजगड़िया के पद को मान्यता दो गई थी। साधारण विषयों का निर्णय गमेती भांजगड़िया मिलकर करते थे। महत्त्वपूर्ण तथा गम्भीर विषयों का निर्णय जाति पंचायत एक

[3] चार्ल्स मेटकॉफ, रेजीडेण्ट दिल्ली को लिख गया कैप्टन कॉब, पो. एजेण्ट, मेवाड़ का 15 जनवरी 1827 का पत्र, फॉ.डि.पो.क. 16 मार्च 1827 सं. 7 ए रा.अभि.

[4] मेवाड़ गजेटियर, के.डी.अर्सकिन–1908, पृ. 39–40

[5] डॉयसन की बाँसवाड़ा व डूँगरपुर से सम्बन्धित पूर्वोक्त रिपोर्ट, टी.एच. हेण्डले पूर्वोक्त पृ. 356 के.डी. अर्सकिन पूर्वोक्त पृ–359

[6] पूर्वोक्त, प्रथम भाग, पृ. 191

[7] मेवाड़ भील कोर के कमाण्डर हण्टर द्वारा मेवाड़ की पहाड़ी जनसंख्या व गरासिया ठाकुरों के सम्बन्ध में 20 जुलाई 1841 को भेजी गयी रिपोर्ट, फॉ. डि. पो.क. 6 सितम्बर 1841 सं 33, रा. अभिलेखागार

[8] कॉब का मेटकाफ को लिखा 15जनवरी 1827 का पत्र

दीर्घ विचार विमर्श के उपरान्त निर्धारित करती थी। प्रत्येक पाल में इस तरह के विषयों का निवारण करने के लिये एक चौरा (बैठक स्थल) बना होता था।। भील पंचायत अपनी–अपनी पाल मे स्थित धार्मिक स्थल, श्मशान घाटों, सार्वजनिक स्थानों तथा गाँव में निवास करने वाले लोगों के नैतिक आचरण का भी ध्यान रखती थी। भील कार्यपालिका की समस्त शक्तियाँ भील पंचायत में निहित थी।

गमेती को भूमिका

गमेती के कई कार्य थे, उनका एक अन्य कार्य था कि पाल में होने वाले विवादों को निपटाने के लिये होने वाले व्यवहार (मुकद्दमों) की तथा अन्य दूसरे विषयों की कार्यवाही करना वह इस कार्य को भिन्न–भिन्न पालों के मुखियाओं के सहयोग से करता था।[9] जहाँ तक भील समाज के मध्य प्रचलित न्याय–व्यवस्था का प्रश्न है विभिन्न पालों की पंचायतें न्याय का कार्य करती थीं जो गाँवों के गमेती व अन्य महत्त्वपूर्ण लोगों से मिलकर बनती थीं तथा दिवानी व फौजदारी दोनों प्रकार के विषयों में मध्यस्थता करने व निर्णय देने का कार्य करती थीं अपराधों का दण्ड अर्थदण्ड के रूप में ही होता था। कॉब लिखता है – "अपराधों का एक मात्र दण्ड अर्थदण्ड है न कि मृत्यु दण्ड। एक रूप्ये से लेकर हजारों रु. तक अर्थदण्ड किया जाता है।"[10] इसके अलावा भीलों की पंचायतों में विभिन्न अपराधों के लिये अर्थदण्ड व अन्य रूपों में जो भिन्न–भिन्न दण्ड प्रचलित थे उनका विवरण हेण्डले ने इस प्रकार दिया है[11] –

हत्या :– हत्यारे को पहले या तो मृतक के सम्बन्धियों के द्वारा मार दिया जाता था या उसे मेवाड़ी 240 रु. अर्थदण्ड, 12 बैल, उतनी ही बकरियाँ व शराब के घड़े देन होते थे तथा इसके अतिरिक्त उसकी पीठ पर एक दर्जन बाण चलाये जाते थे। हेण्डले लिखत है कि अब केवल अर्थदण्ड की सजा ही शेष रह गई है। परन्तु ऐसा प्रतीत नहीं होता कि किसी व्यक्ति की पीठ पर एक दर्जन बाण चलाये जाने के उपरान्त वह जीवित रह जाये ऐसे में हेण्डले का यह विचार मानसिक कल्पना ही प्रतीत होता है। इतना अधिक अर्थदण्ड के उपरान्त पुनः बाण चलाने वाली बात अप्रमाणिक है।

9 श्यामलदास विरचित वीरविनोद, भाग–प्रथम, पृ. 191

10 कॉब पो.एजेण्ट मेवाड़ का सी. मेटकॉफ, रेजीडेण्ट दिल्ली को लिखा 8 जुलाई 1827

11 दीपंग–कुल–प्रकाश, ठिकाना सरदारगढ़ का इतिहास, कायमदान एवं श्यामलदास विरचि, संपा. डॉ. ब्रजमोहन जावलिया, प्रताप शोध संस्थान, भूपाल नोबल्स संस्थान, उदयपुर 1995 पद्य सं. 495–502

व्यभिचार :— व्यभिचारी व्यक्ति पर 240 मेवाड़ी रु. का अर्थदण्ड लगता था। यदि ऐसी स्त्री विवाहिता हो तो यह राशि उसके पति को प्राप्त होती थी। यदि लड़की अविवाहिता है तो उस पर 60 मवाड़ी रु. चुकाने पड़ते थे व उस लड़की से विवाह करना पड़ताथा। यह एक प्रकार का पैशाचिक विवाह की श्रेणी कही जा सकती है।

चोरी :— चोर को चुराई गई सम्पत्ति का दुगुना मूल्य देना पड़ता था तथा शांहशाही मेवाड़ी 5 से दस रु. का अर्थदण्ड निर्धारित था।

धोखाधड़ो :— इस विषय में दोषी व्यक्ति की सम्पत्ति की आम लूट की जाती थी और यदि वह गाँव में अपने—आप को पुनः प्रतिष्ठित करना चाहे तो पंचायत इसके अलावा जो भी सजा दे वह भुगतनी पड़ती थी।

गमेती पदासीन को प्राप्त विशेषाधिकार व सम्मान

भील समाज में गमेती को उच्च स्थान प्राप्त था। जिसमें उसकी चारपाई पर दूसरे व्यक्ति को बैठने की अनुमति नहीं थी। उसके हुक्का—पानी में अन्य व्यक्ति को भागीदार नहीं बनाया जाता था। खाने—पीने का प्रथम ग्रास ग्रहणादि गमेती को दिया जाता था, इत्यादि कई वर्जनाएँ गमेती के प्रधान के सन्दर्भ सामान्य के लिये थीं।

भील पंचायत के अतिरिक्त दो या उससे अधिक पालों की एक संयुक्त संस्था भी होती थी, जिसे “सोकरा” कहा जाता था। विभिन्न पालों के गमेती तथा भांजगड़िया इस संस्था के सदस्य होते थे। यह संस्था विवाह तथा अन्य सामाजिक कार्यों का भी निपटारा करती थी। यहाँ तक कि बाह्य आक्रमणों के प्रतिकारार्थ क्रियान्विती में इस संस्था की महत्त्वपूर्ण भूमिका होती थी।[12] विशेष परिस्थिति में वारू ढोल बजाने की अनुमति भी इस पंचायत के पास थी।

भोमिया सरदार अथवा गरासिया

पाल का गमेती होने के अतिरिक्त भीलों को कुछ को और भी राजनैतिक अधिकार प्राप्त थे। मेवाड़ के मगरा जनपद के भोमट क्षेत्र में रहने वाले अनेक सरदार भोमिया कहलाते थे। वस्तुतः मेवाड़ में भूमि पट्टा मुख्य रूप से चार भागों—जागीर, भौम व सासां में बँटा था। इनमें से भौम पट्टे को धारण करने वाले भोमिया कहलाते थे। इन भोमिया सरादारों को अपने क्षेत्र पर वंशक्रमानुगत, वापस न लेने योग्य तथा अन्य को हस्तान्तरित न करे योग्य सम्पत्ति का अधिकार था। उन्हें यह पट्टा युद्ध—क्षेत्र में विशिष्ट सेवाओं के लिये सीमा को सुरक्षा के लिये या

[12] द भील रिलीजन ट्राईब, आर.एस. मान, अंक 1978, पृ. 9—11

गाँवों की रखवाली के लिये प्रदान किया गया।[13] य भोमिया सरदार मुख्य रूप से दो क्षेत्रों में बसे थे। पहला तो भोमट का खैरवाड़ा क्षेत्र था जहाँ जवास, पारा, मादड़ी, छाणी व थाणा के ठाकुर थे। दूसरा क्षेत्र कोटड़ा भोमट का था जहाँ जूड़ा, मेरपुर, पानरवाव ओगणा के ठाकुर थे।[14] ये सभी भोमिया ठाकुर गरासिया भी कहलाते थे। गरासिया नाम गिरास या भोजन से बना है जिसका शाब्दिक व परिचित अर्थ है "मुँह की कौर" अर्थात् उनके पेट–भरण के लिय दिया जाने वाला पट्टा।[15] ये पट्टे इन लोगों को उनके भरण–पोषण के लिये दिये गये अतः ये गरासिया ठाकुर नाम से भी जाने गये। किन्तु इन्हें भूमि पर अधिकार भौम पट्टे द्वारा प्राप्त था और ये प्रतिवर्ष राजसभा को भेंट या नियत वार्षिक कर देते थे।[16]

टॉड लिखता है कि "ये सभी ठाकुर भोमियां विशेषण के प्रयोग को बहुत महत्त्व देते थे, क्योंकि इससे भूमि के साथ उनकी आत्मीयता सिद्ध होतो थी और वास्तव में यह उनको भूमि का स्वामित्व प्रदान करती थी।[17] सिद्धान्त रूप से ये ठाकुर उदयपुर के महाराणा के अधीनस्थ थे और उन्हीं से उन्हें अपने क्षेत्र भौम पट्टे के रूप में प्राप्त हुये थे और इसके बदले में उदयपुर राजसभा में नियत वार्षिक कर देने के अवाला सेना की आवश्यकता पड़ने पर अपने अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत भीलों को भी राजसभा में सेवा में भेजने का दायित्व था।[18]

इस प्रकार स्पष्ट है कि ये भोमिया सरदार अत्यधिक शक्तिशाली व प्रभावशाली थे जिनके अधिकार क्षेत्र में अनेक गाँव थे तथा उदयपुर के महाराणा के समानान्तर ही इनका अपना अलग राजनीतिक गठबंधन था। इनकी सैनिक शक्ति भी प्रबल थी क्योंकि इन्हें अनेक भील धनुषधारियों का सहयोग प्राप्त था।

निष्कर्ष

इस प्रकार भील समाज में 'गमेति' परम्परा एक उच्च एवं श्रेष्ठ पद के रूप में जानी जाती है। गमेति जहाँ वह एक ओर भील समाज की कुलीन परम्पराओं का पालन करवाते हुए पाल को

International Research Journal
IJNRD
Research Through Innovation

13 राजस्थान थ्रू द एजेजे, जी.एन. शर्मा खण्ड द्वितीय, 1300 से 1761 ई. तक राजस्थान स्टेट आरकाइब्ज बीकानेर, 1990 पृ. 262

14 के.डी. असकिन, राजपूताना गजेटियर, खण्ड द्वितीय, ए , द मेवाड़ रेजीडेन्सी, टेक्स्ट स्काटिश मिशन इण्डस्ट्रीज कं. लिमिटेड, अजमेर, 1908 पृ 114–15

15 एनल्स, प्रथम भाग, जेम्स टॉड, पृ. 190

16 के.डी.अर्सकिन, पूर्वोक्त

17 पश्चिम भारत की यात्रा, पृ. 30

18 वीरविनोद, श्यामलदास, भाग–प्रथम, पृ. 195

संगठित व नियंत्रित रखता था, वहीं दूसरी ओर बाह्य आक्रमणों से इसकी रक्षा भी करता था। बाँसवाड़ा में यही गमेती "रावत" कहलाता था।

गमेति को कई प्रकार के निर्णय लेने का विशेषाधिकार था, जिनमें विवाह की प्रक्रियाए, दापे की मुद्रा, झाोपड़ी का निर्माण में तथा मृत्युभोज आदि के अवसर पर गमेती की भूमिका महत्त्वपूण होती थी। उसकी अनुमति के बिना कोई कार्य प्रारम्भ नहीं किया जा सकता था। गाँव में जाति पंचाय आपसी विवादों को गमेती के माध्यम से ही निपटाती थी। अतः वाद–विवाद में भी गमेती की महत्त्वपूर्ण भूमिका रहती थी। यहां तक कि भीलों के उत्सवों, पर्वों, या अन्य अवसरों पर भी कोई कार्य बिना मुखिया की अनुमति के प्रारम्भ नहीं होता था।

संदर्भ

1- मेवाड़ गजेटियर, के.डी. अर्सकिन–1908, पृ. 39–40

2- सोसायटी एण्ड पेज, मेकाइवर, प. 258

3- चार्ल्स मेटकॉफ, रेजीडेण्ट दिल्ली को लिख गया कैप्टन कॉब, पो. एजेण्ट, मेवाड़ का 15 जनवरी 1827 का पत्र, फॉ.डि.पो.क. 16 मार्च 1827 सं. 7 ए रा.अभि.

4- मेवाड़ गजेटियर, के.डी.अर्सकिन–1908, पृ. 39–40

5- डॉयसन की बाँसवाड़ा व डूँगरपुर से सम्बन्धित पूर्वोक्त रिपोर्ट, टी.एच. हेण्डले पूर्वोक्त पृ. 356 के.डी. अर्सकिन पूर्वोक्त पृ–359

6- पूर्वोक्त, प्रथम भाग, पृ. 191

7- मेवाड़ भील कोर के कमाण्डर हण्टर द्वारा मेवाड़ की पहाड़ी जनसंख्या व गरासिया ठाकुरों के सम्बन्ध में 20 जुलाई 1841 को भेजी गयी रिपोर्ट, फॉ. डि. पो.क. 6 सितम्बर 1841 सं 33, रा. अभिलेखागार

8- कॉब का मेटकाफ को लिखा 15जनवरी 1827 का पत्र

9- श्यामलदास विरचित वीरविनोद, भाग–प्रथम, पृ. 191

10- कॉब पो.एजेण्ट मेवाड़ का सी. मेटकॉफ, रेजीडेण्ट दिल्ली को लिखा 8 जुलाई 1827

11- दीपंग–कुल–प्रकाश, ठिकाना सरदारगढ़ का इतिहास, कायमदान एवं श्यामलदास विरचि, संपा. डॉ. ब्रजमोहन जावलिया, प्रताप शोध संस्थान, भूपाल नोबल्स संस्थान, उदयपुर 1995 पद्य सं. 495–502

12- द भील रिलीजन ट्राईब, आर.एस. मान, अंक 1978, पृ. 9–11

13- राजस्थान थ्रू द एजेजे, जी.एन. शर्मा खण्ड द्वितीय, 1300 से 1761 ई. तक राजस्थान स्टेट आरकाइब्ज बीकानेर, 1990 पृ. 262

14- के.डी. अर्सकिन, राजपूताना गजेटियर, खण्ड द्वितीय, ए , द मेवाड़ रेजीडेन्सी, टेक्स्ट स्काटिश मिशन इण्डस्ट्रीज कं. लिमिटेड, अजमेर, 1908 पृ 114–15

15- एनल्स, प्रथम भाग, जेम्स टॉड, पृ. 190

16- के.डी.अर्सकिन, पूर्वोक्त

17- पश्चिम भारत की यात्रा, पृ. 30

18- वीरविनोद, श्यामलदास, भाग–प्रथम, पृ. 195

International Research Journal
IJNRD
Research Through Innovation